सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 594
09/08/2017

दो लोक सूचना पदाधिकारियों को लगा आर्थिक दण्ड

पटना–09 अगस्त, 2017 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0–96982/13–14 एवं वाद सं0–104167/13–14 मामले में दो लोक सचूना पदाधिकारियों पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार राज्य सूचना आयुक्त श्री वर्मा ने प्रथम मामले में आवेदक श्री अरबिन्द कुमार को ससमय सूचना सुलभ नहीं कराने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश की अवहेलना करने के एवज में लोक सूचना पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, छपरा सदर, सारण पर 25000/– (पचीस हजार) रु0 का दण्ड अधिरोपित किया है। ठीक इसी तरह दूसरे मामले में आवेदक श्री सुधीर कुमार को प्रपत्र 'क' की सूचना नहीं देने और आयोग द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देने के चलते इस बाद से संदमित लोक सूचना पदाधिकारी–सह–जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को भी 25000/– (पचीस हजार)रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। इसके साथ ही दोनों मामले में लगाए गए आर्थिक दण्ड की राशि की कटौती हेतु जिला पदाधिकरी/कोषागार पदाधिकारी, सारण एवं जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निर्णय की कॉपी इस आशय के साथ भेजी गई है कि वे दोनों पदाधिकारियों के वेतन से दण्ड की राशि की कटौती कर आयोग को भी अवगत करायें।

ज्ञातव्य है कि दोनों मामले की अगली सुनवाई दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 को साढ़े दस बजे आयोग कार्यालय में होगी।

******